



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

सन्दर्भ संख्या: AWADHUUNI/सं/ 12024

AYODHYA-224001

दिनांक: 25/07/2024

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उपरोक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 25/07/2024) से BABU MAHIPATI SINGH MAHAVIDYALAYA TILOI AMETHI को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	ANCIENT INDIAN HISTORY
2 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	ENGLISH LITERATURE
3 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	GEOGRAPHY
4 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HOME SCIENCE
5 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HINDI LITERATURE
6 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	POLITICAL SCIENCE
7 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SOCIOLOGY
8 BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	BOTANY
9 BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	CHEMISTRY
10 BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	MATHEMATICS
11 BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	PHYSICS
12 BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	ZOOLOGY

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2024-2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

2023-24

2023-24

- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2024-2025 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्र-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्र-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग..... उपप्र शासन, लखनऊ।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, CSM Nagar मण्डल,
- प्रबन्धक, BABU MAHIPATI SINGH MAHAVIDYALAYA TILOI AMETHI को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- परीक्षा नियंत्रक, BABU MAHIPATI SINGH MAHAVIDYALAYA TILOI AMETHI, CSM Nagar
- कुलसचिव कार्यालय।
- सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव

मा